

प्रदूषण रोकिए !

ताम्र - पर्यावरण

Gram : Paryavarana

पर्यावरण बचाओ !

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0551-2273937

Phone & Fax : 0551-2273937



क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

REGIONAL OFFICE

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या

Ref. No. 467/शस्त्र मो. सी. 150/2020

दिनांक

Dated 19-8-2020

सेवा में

प्रभारी अधिकारी शस्त्र,

देवरिया।

विषय:

मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, एच०पी०सी०एल० प्रशान्त टॉवर्स (भूतल), महेबा चुंगी, ट्रान्सपोर्ट नगर, गोरखपुर के पत्रांक सं० RU/MPM/333, दिनांक 13.01.2020 के द्वारा ग्राम- कोन्हवलिया, परगना- शाहजहांपुर, तहसील- देवरिया, जनपद- देवरिया के गाटा सं०-908, पर (डीजल/पेट्रोल पम्प) रिटेट आउटलेट हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं०-534/शस्त्र-2020, दिनांक 14.01.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके माध्यम से मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, एच०पी०सी०एल० प्रशान्त टॉवर्स (भूतल), महेबा चुंगी, ट्रान्सपोर्ट नगर, गोरखपुर के पत्रांक सं० RU/MPM/333, दिनांक 13.01.2020 के द्वारा ग्राम- कोन्हवलिया, परगना- शाहजहांपुर, तहसील- देवरिया, जनपद- देवरिया के गाटा सं०-908, पर (डीजल/पेट्रोल पम्प) रिटेट आउटलेट के उपभोक्ता पम्प के स्थापित किये जाने हेतु मानचित्र की प्रति संलग्न करते हुए अनापत्ति प्रमाण सम्बन्धी आख्या चाही गयी है। उक्त के सन्दर्भ में आपको अवगत करना है कि आवेदन पत्र में, उक्त के उपरान्त के पत्रांक सं० RU/MPM/333, दिनांक 13.01.2020 के द्वारा ग्राम- कोन्हवलिया, परगना- शाहजहांपुर तहसील- देवरिया, जनपद- देवरिया के गाटा सं०-908, पर (डीजल/पेट्रोल पम्प) रिटेट आउटलेट उपभोक्ता पम्प के स्थापित किये जाने हेतु राज्य बोर्ड द्वारा निम्नलिखित शर्तों के साथ पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टिकोण से संस्तुति की जाती है।

1. प्रस्तावित स्थल पर पेट्रोल पम्प की स्थापना इस प्रकार से कि जाये, जिससे की आस-पास के पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
2. पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल के अधिकाधिक भू-भाग पर वृक्षारोपण किया जाये।
3. पेट्रोलियम पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण जान नाल की व्यापक सुरक्षा के मद्देनजर दुर्घटना की स्थिति में बचाव हेतु समुचित सुरक्षा उपकरण अग्निसमन विभाग के गाईड लाईन के अनुसार स्थापित किया जाये तथा आस-पास आबादी विकसित होने पर रोक लगायी जाये।
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में वर्णित प्रविधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
5. घरेलू प्रयोजन के फलस्वरूप जनित होने वाले बहिःश्राव के शुद्धिकरण हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक पीट की व्यवस्था स्थापित की जाये।
6. पेट्रोल पम्प द्वारा किसी भी दशा में औद्योगिक उत्प्लावक का निस्तारण न किया जाये।
7. पर्यावरणीय वक्तव्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 सितम्बर तक या इसके पूर्व राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।

petrol pump

Ashish Kumar Sharma

Duly Constituted Attorney

Hindustan Petroleum Corporation Limited

महादेव झारखण्डी, आवास विकास कॉलोनी, देवरिया रोड, गोरखपुर-273 008

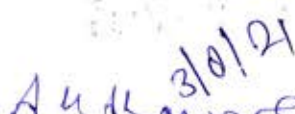
MAHADEV JHARKHANDI, AVAS VIKAS COLONY, DEORIA ROAD, GORAKHPUR-273 008

E-mail : rogorakhpur@uppcb.gov

8. पेट्रोल पम्प द्वारा डिजाइंस किए गए अदर के अनुसार एक एण्ड ट्रान्स वाउचर (इन्वेंटरी) रुला 2016 तथा मैनुफैक्चर, स्टोरेज एंड हान्डलिंग ऑफ फ्लेमिंग कॉम्पोजन्स रुला 1980 एवं पब्लिक लाईबिल्टी इन्वेंटोन्स ऐक्ट, 1991 में वर्णित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जाये।
9. पेट्रोल पम्प द्वारा जिला प्रशासन एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से लाईसेंस/अवकाशित प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाये।
10. पेट्रोल पम्प द्वारा एक अदर 18 किलोलीटर पेट्रोल (एन.एस.) तथा एक अदर 35 किलोलीटर डीजल ऑयल (एच.एस.डी.) के भण्डारण हेतु भूमिगत स्टील टैंक की स्थापना की जाये।
11. प्रस्तावित स्थल पर स्टार्म वाटर के निस्तारण हेतु पृथक स्टार्म वाटर ड्रेन बनायी जाये।
12. पेट्रोल पम्प पर निर्मित होने वाले बिल्डिंग के उच्चतम बिन्दु पर विन्ड इन्डीकेटर लगाया जाये।
13. पेट्रोल पम्प द्वारा प्रस्तावित स्थल का भू-प्रयोग 143-जेड.ए. के अंतर्गत ग्राम अधिकारी के स्तर से औद्योगिक में परिवर्तित कराकर भू-प्रयोग प्रमाण पत्र राज्य बोर्ड को तीन माह के भीतर प्रेषित किया जाये।
14. पेट्रोल पम्प द्वारा सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी से आन साइट डिजाइन्स मैनेजमेन्ट प्लान अनुमोदित करवाकर छः माह के भीतर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाये।
15. पेट्रोल पम्प की स्थापना मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलिएम कॉर्पोरेशन लि०, द्वारा प्रस्तावित भू-प्रयोग के अनुसार की जाये।
16. प्रस्तावित पेट्रोल पम्प परिसर में रेन वाटर हार्वैस्टिंग की स्थापना की जाये।
17. पेट्रोल पम्प द्वारा विद्युत आपूर्ति हेतु डी० जी० सेट की स्थापना किये जाने की वक्ता में ध्वनि प्रदूषण की रोक-थाम हेतु कैनोपी/एकसिडक इन्वलोजर व साइलेन्सर की स्थापना स्थापित करने के साथ गैसीय उत्सर्जन हेतु डी०जी० सेट के एक्जॉस्ट पर निकटतम भवन छत से 0.2 मीटर ऊँची चिमनी स्थापित किया जाये।
18. पेट्रोल पम्प पर आने वाले वाहनों के पार्किंग/आवागमन की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित किया जाये कि मार्ग का सामान्य यातायात बाधित न हो।

भवदीय


(प्रमुख अधिकारी)
राष्ट्रीय अधिकारी


3/8/21

Ashish Kumar Sharma
Duly Constituted Attorney
Hindustan Petroleum Corporation Limited